107

RN/10-4 IR/603/95

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ९५ निगरानी

श्री रामतवकल पुत्र बलवीर तेली
निवासी गडहरा, तहसील सिगरौली
जिला सीधी, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

१। मध्य प्रदेश शासन
२। श्री फुरई तनय मनिराज बैगा
साकिन ग्राम मकरोहर, तहसील
सिगरौली, जिला सीधी, म०प्र०
-- प्रतिप्रार्थीगण

क्रमांक
श्री एस० के० अवस्थी 29.5.95
की प्रस्तुत 29.5.95
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय, रीवा संभाग दिनांक २१-२-९५ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता। प्र०क्रमांक १६।९४-९५।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि कलेक्टर महोदय एवम् आयुक्त महोदय की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि आयुक्त महोदय एवम् कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि आयुक्त महोदय ने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों को बुलाये बिना विवादित आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।।

---- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 503/95 जिला –सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.6.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 16/94-95 में पारित आदेश दिनांक 21.2.95 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सिंगरौली के द्वारा ग्राम मकरोहर तहसील सिंगरौली की शासकीय भूमि पुराना खसरा कमांक 13/9 रकबा 5.51 तथा नया खसरा कमांक 21/2 रकवा 1.46 है0 एवं खसरा कमांक 41 रकवा 0.25 है0 अनावेदक रामतवंकल तनय बलवीर तेली साकिन गड़हरा तहसील सिंगरौली के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर जिला सीधी द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर उसमें त्रुटियां अथवा अनियमिततायें परिलक्षित हुई जिससे प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर	

अनावेदक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया । अनावेदक द्वारा दिनांक 8.3.94 को जबाव प्रस्तुत किया तथा भूमिस्वामी स्वत्व में दी गई भूमि पर देरीना कब्जा बताते हुये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसंगत होना बतलाया गया है। कलेक्टर जिला सीधी द्वारा दिनांक 7.6.94 द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा दिया गया पट्टा निरस्त किया तथा वह शासन में दर्ज करने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया । आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा दिनांक 21.2.95 को आदेश पारित किया जाकर कलेक्टर जिला सीधी का आदेश स्थिर रखा इससे से दुखी होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3–आवेदक का तर्क है विवादित भूमि आवेदक को विस्थापित होने के कारण तहीलदार द्वारा दिनांक 9.5.63 को विधिवत जांच के द्वारा भूमि स्वामी हक में दी गई थी। ऐसी स्थिति में पटटे का अंकन राजस्व अभिलेखों में करने का दायित्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों का होता है। उनके द्वारा बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने की भूल की है।

4- आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। मुख्य रूप से यह विचार हेतु बिन्दु है जहां कब्जे का विवाद हो वहां हितबद्ध व्यक्ति को सुना जाना आवश्यक होता है। प्रकरण में ऐसा कोई विधिक प्रमाण व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रमाणित तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक को डूब के कारण पुनर्वास योजना के तहत पट्टा दिया गया है प्रमाणित नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा एवं कलेक्टर सीधी का आदेश समवर्ती आदेश होने के कारण इनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य